

Ref.: ISLL:CH:2022

Ind-Swift Laboratories Limited

(A Recognised Export House)



GIN NO. L242320H 19537-LX

The President, Corporate Relationship Department, Bombay Stock Exchange Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Mumbai 400 001 The Vice President,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No.C/2, G-Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),

Mumbai 400 051

Date: 2nd September, 2022

BSE Scrip Code: 532305 NSE Symbol: INDSWFTLAB

Sub: Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copy of the Notice published on September 2, 2022 in 'The Financial Express' and 'Jansatta' in respect of information regarding holding of the 27th AGM of the Company through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM").

This is for your reference and records.

Thanking you,

For IND-SWIFT LABORATORIES LTD.

Pardeep

| Description | Property | Property

PARDEEP VERMA AVP-CORPORATE AFFAIRS & COMPANY SECRETARY

Encl: As above

Ind-Swift Laboratories Ltd.

Ind-Swift

ing Act 2, a pay the arty The ibe

agar, 52043

1016

TING

rpany me of back), ested

Regd. Off.: SCO 850, Shivalik Enclave, NAC Manimajra, Chandigarh, 160101 CIN No.L24232CH1995PLC015553

NOTICE OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL

MEANS (OAVM), REMOTE EVOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Friday, 30th September, 2022, at 11.30 AM (IST), through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") in compliance with General Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and other circulars issued from time to time (collectively referred to as "the Circulars") and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR"), to transact the business as set out in the notice of the AGM.

In compliance with the Circulars, the Annual Report 2021-22 including the notice of AGM, is being sent only through electronic mode to those members whose e-mail IDs are registered with the Registrar & Transfer Agent ("RTA") or respective Depository Participants ("DPs"). The Notice of AGM and the Annual Report 2021-22 will also be available on the Company's website at www.indswiftlabs.com, websites of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at https://www.evotingindia.com.

The Company has engaged the services of CDSL as the authorised agency for conducting of the AGM through VC/OAVM facility and for providing electronic voting ("e-voting") facility to its members, to exercise their votes through the remote e-voting and e-voting at the AGM. The manner of voting remotely by members holding shares in dematerialized form and physical form will be provided in the AGM notice.

The Cut-off Date for determining the eligibility of members'or the purpose of remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM facility and evoting during the AGM is Friday, 23rdSeptember, 2022. Any person who becomes a member of the Company after the dispatch of Notice and holding shares as on the Cut-off Date may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Members are advised to update their PAN, KYC (Address, Email ID, Mobile Number, Bank Account Details, Specimen Signature, etc.) and Nomination details as mandated by SEBI vide its circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB /P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021, read together with circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/687 dated December 14, 2021, to avoid freezing of their folios on or after April 1, 2023, as below:

· Members holding shares in physical form: to the Company's RTA-Alankit Assignments Limited, in prescribed Form ISR -1 and other forms as per instructions mentioned in the form. The formats can be downloaded from the Company's website athttps://www.indswiftlabs.com/investor/shareholderservices/.

Members holding shares in dematerialized form: to their respective Depository Participants as per the procedure prescribed by them.

Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 26th September, 2022 to 30th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of the 27th Annual General Meeting (AGM) to⇒be held on 30th September, 2022.

For Ind-Swift Laboratories Ltd.

Pardeep Verma AVP-Corp. Affairs & Co. Secy.

Place: Chandigarh Date: 01-09-2022



ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED

Registered Office: Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat-36 Corporate Office: 10th Floor, R Teck Park, Nirion Complex, Near-Hi Goregaon (East) Mumbai-400 063. Maharashtra

DEMAND NOTICE

UNDER SEC 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF S INTEREST ACT, 2002 ("THE ACT") READ WITH RULE 3 OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 ("THE

The undersigned being the Authorized officer of Aditya Birla Finance Limited (ABFL) under the Act and in exercise of conferred under Section 13(12) of the Act read with the Rule 3, issued Demand Notice(s) under Section 13(2) of the Act, call the following borrower(s) to repay the amount mentioned in the respective notice(s) within 60 days from the date of rece said notice. The undersigned reasonably believes that borrower(s) is / are avoiding the service of the demand notice(s), the service of notice is being effected by affixation and publication as per Rules. The contents of demand notice(s) are herein below:

In connection with the above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower's / Legal Heir(s) / Legal Representation pay to ABFL, within 60 days from the date of the respective Notice/s, the amount indicated herein below against their re names, together with further interest as detailed below from the respective dates mentioned below in column (d) till th payment and / or realisation, read with the loan agreement and other documents / writings, if any, executed by the said Bo As security for due repayment of the loan, the following Secured Asset(s) have been mortgaged to ABFL by the said B respectively.

Sr. No.	i sympand fifther and fifther and the same a	Demand Notice Date & NPA Date	
1	1. VISHAL MALHOTRA, S/o. SATPAL MALHOTRA 2. ANNIOL MALHOTRA, W/o. VISHAL MALHOTRA 3. KUSUM RANI, W/o. DARSHAN SINGH BEDI ADD. 1: House No. 1883, ST No. 1, Janta Nagar, Gill Road, Ludhiana, Punjab-141 003, Mobile No. 62391 50867; ADD. 2: 0m Prakash Dairy Farm, B-12, Tajpur Road, Dairy Complex, Near Geeta Ngr., Ludhiana, Punjab-141 003. LAN: ABFILDHDSB0000103682	1/4 August, 2022	₹ 42,31,14k (Rs. Forty Two Thirty One The One Hundred Fo & Twenty Six Pa as on 16th Augus

Description of Immovable property: All that piece & parcel of property Measuring 137-1/3 sq. Yards (Out of Property Measuring 206 comprised in Khasra No. 4032/377, 4044/378, Khata No. 2198 / 2857 as per Jamabandi for the year 2005-2006 Situated at Village Gill-II, H. Abadi known as Janta Nagar Tehsil & District : Ludhiana, Punjab

With further interest, additional Interest at the rate as more particularly stated in respective Demand Notices dated m above, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and / or realization. If the said Borrow fail to make payment to ABFL as aforesaid, then ABFL shall proceed against the above Secured Asset(s) / Immovable (ies) under Section 13(4) of the said Act and the applicable Rules entirely at the risk of the said Borrower's / Legal Heir(s Representative(s) as to the costs and consequences.

The said Borrower's / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) are prohibited under the said Act to transfer the aforesaid Asset(s) / Immovable Property(ies), whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of ABFL. Th note that this is a final notice under Section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforce Security Interest Act, 2002 (54 of 2002). Needless to say, that ABFL shall be within its right to exercise any or all of the rights to above against the borrower(s) entirely at their risk, responsibility and costs.

Place: Ludhiana, Punjab

Date : 02.09.2022

Authorise **ADITYA BIRLA FINANCE LII**

DEMAND NOTICE

Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act said Act.) read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules). In exercise of powers under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IFL Home Finance Ltd.) Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said 4 upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection we notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amount herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The datail of theBoamount due as on date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under-

Name of the Borrower(s).

Name of the Borrower(s).

Guarantor (s)

Mr. Rohlash, Mr.Ajeet Singh, Mrs.Sabita.

Valshno Dairy Dudh Bhandar (Prospect No. 942355 & 9.95306 & 9.35538 & 9.92514)

Demand Notice Date & Amount Description of secured asset (immovable property of the propert Demand Notice Date & Amount

Description of secured asset (immovable property

INTERNATIONAL LIMITED

IO.F-43, BASNI IST PHASE, JODHPUR, RAJASTHAN- 342001 INDIA

न्यूनतम- 26.0

मोसम

सूर्यास्त- ०६:४५

पंजाब/हरियाणा 🔨

तलवंडी साबो से 'आप' विधायक को पति ने मारा थणड़

सीसीटीवी की फुटेज वायरल होते ही पंजाब महिला आयोग ने कहा, मामले में स्वतः संज्ञान लेंगे

चंडीगढ़, १ सितंबर (जनसत्ता)।

पंजाब के तलवंडी साबो विधानसभा हलके से आम आदमी पार्टी की विधायक बलजिंदर कौर के घरेल हिंसा का शिकार होने की सीसीटीवी फुटेज गुरुवार को वायरल हो गई। इसके तुरंत बाद पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने कहा कि वह कल शुक्रवार को सुबह इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेंगे।

गौरतलब है कि गुरुवार को बलजिंदर कौर को उसके पति द्वारा थप्पड़ मारने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसके तुरंत बाद किसी ने इसे वायरल कर दिया। लगातार दो बार से निर्वाचित विधायक बलजिंदर कौर की शादी फरवरी 2019 में सुखराज सिंह से हुई थी। सुखराज भी आम आदमी पार्टी का ही सदस्य है। जिस समय

उनकी शादी हुई उस समय वह आप के युवा विंग का नेता था। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पहले बलजिंदर कौर की उनके पति के साथ कुछ बहस हुई जिसके बाद पति ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। इस पर बलजिंदर के साथ खड़े सुरक्षा कर्मचारियों ने उन्हें बचाया और फिर वहां खड़े कुछ लोग उनके पति को वहां से ले जाते हुए दिखाई देते हैं। इस बावत मनीषा गुलाटी ने कहा,

'यह बहुत ही दुखद है कि बलजिंदर के इतने बड़े पद पर होने पर भी उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। वह एक मजबत महिला हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता भी। मैंने उन्हें कई अहम मुद्दों को मजबूती से उठाते हुए देखा है। इस पूरी घटना से ऐसा लगता है कि



ऐसी मजबूत महिला पर भी इस तरह का हमला हो सकता है। मैंने खुद सीसीटीवी की फुटेज देखी हैं। फिलहाल मैं छुट्टी पर हूं और इंग्लैंड में हूं। लेकिन इस मामले में आयोग कार्रवाई करेगा। मैं यहां से निर्देश जारी करूंगी कि इस मामले में संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू की जाए। अगर कोई पीड़ित

महिला जिम्मेवारी वाले पद पर हैं और यह मामला आम आदमी पार्टी की नेता का है तो इसका यह मतलब नहीं कि आयोग कार्रवाई नहीं करेगा। मनीषा गुलाटी इसपर चुप नहीं बैठ सकती। बलजिंदर कौर के लिए यह घटना बहुत ही दर्दनाक होगी। इसी बीच पंजाब की महिला एवं

बाल विकास मंत्री डा. बलजीत कौर ने कहा कि अगर उन्हें इस मामले में औपचारिक शिकायत मिलती है तो वह तभी इस पर कार्रवाई करेंगी। उन्होंने कहा कि वह मनीषा गुलाटी से भी संपर्क कर उनसे इस मामले में सख्त संज्ञान लेने का अनुरोध करेंगी।

पिछले एक पखवाड़े में यह दूसरी घटना है जब आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ पारिवारिक मसला उठा है। कुछ दिन

पहले सन्नौर से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की दसरी पत्नी ने सार्वजनिक तौर पर अपने पति पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। उसका कहना था कि पठानमाजरा ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही उससे शादी कर ली थी। इसके साथ पठानमाजरा की एक अश्लील विडियो भी वायरल हो गई थी। जिसे लीक करने का आरोप विधायक ने आरोप अपनी दुसरी पत्नी पर लगाया था।

आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। विधायक पठानमाजरा ने कहा था कि उन्होंने पंचायत के सामने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया था। पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने के आरोपों के बावजूद पठानमाजरा पर आप आदमी पार्टी ने भी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

जनसता २ सितंबर, २०२२

एचएसआइआइडीसी किसानों को देगा बढ़ा हुआ मुआवजा

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एचएसआइआइडीसी) को पूर्व भूमि मालिकों को बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान करने, राज्य में औद्योगिक संपदाओं में बुनियादी सुविधाओं के विकास करने और भूमि अधिग्रहण हेतु 500 करोड़ रुपये की नकद ऋग/वर्किंग केपिटल की स्वीकृति प्रदान की है। यह फैसला गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त विभाग एसबीआई को भूमि अधिग्रहण, बुनियादी सुविधाओं के विकास तथा पूर्व भूमि मालिकों को भूमि मुआवजे का भुगतान 2 प्रतिशत सरकारी गारंटी शल्क चार्ज के साथ 10 साल की अवधि के लिए छह प्रतिशत वार्षिक की दर से 500 करोड़ रुपये की नकद ऋग/वर्किंग केपिटल प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार की ओर से गारंटी देने पर सहमत है।

विज्ञापन संख्या-100/2022

भारत सरकार लोक उद्यम चयन बोर्ड

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

निदेशक (कार्मिक)

पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता हैं। लोक उद्यम चयन बोर्ड में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि

9 नवंबर, 2022 (15:00 बजे तक) है। जानकारी के लिए वेबसाइट

http://www.pesb.gov.in में लॉग इन करें।

प्रोत्साहन नीति को मंजूरी चंडीगढ्, १ सितंबर (जनसत्ता)।

हरियाणा सरकार ने दी उद्यम

हरियाणा सरकार ने उद्यम प्रोत्साहन नियम, 2016 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने हरियाणा उद्यम संवर्धन अधिनियम, 2016 और पारिस्थितिकी तंत्र सुजित किया जा सके जो कारोबार करने सहुलियत से मेल खाता हो और साथ ही व्यवसाय करने में होने वाली देरी के साथ-साथ लागत को कम करने के लिए श्रेष्ठ वैश्विक

मानकों से भी बेहतर हो। हरियाणा उद्यम संवर्धन बोर्ड (एचइपीबी) का गठन हरियाणा उद्यम संवर्धन अधिनियम, 2016 की धारा 3 के तहत किया गया है और उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति (ईईसी) का गठन किया गया है। अधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति (ईईसी) में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव समिति के अध्यक्ष हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक सचिव समिति के सदस्य-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। नगर एवं ग्राम आयोजना, पर्यावरण, वन, लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें), वित्त, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, बिजली, शहरी स्थानीय निकाय, श्रम, एचएसआईआईडीसी के महानिदेशक या उद्योग एवं वाणिज्य विभागों के प्रशासनिक सचिव समिति के निदेशक सदस्य हैं।

बरगाड़ी में धरना, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी

अंबाला हलके में आज पन्ना प्रमुखों को जीत के नुस्खे देंगे नड्डा

लुधियाना, १ सितंबर (जनसत्ता)।

शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) द्वारा बरगाड़ी कांड के खिलाफ रोष स्वरूप 1 जुलाई 2021 से फरीदकोट जिले के बरगाड़ी गांव में शुरू किए गए धरने को आज 415 दिन हो गए हैं। हालांकि इस दौरान सरकार में भी बदलाव हुआ लेकिन यह प्रदर्शन जारी संबंधित नियमों को अधिनियमित रहा। यह धरना बरगाड़ी मोर्चा नाम से शुरू किया है ताकि राज्य में एक ऐसा किया यह धरना तत्कालिन कांग्रेस सरकार के खिलाफ) शुरू किया गया था।

इस आंदोलन में न तो रोष धरना है और न ही नारेबाजी हो रही है। हर रोज पार्टी के कम से कम पांच सदस्य गांव के गरुद्वारा में मत्था टेकने आते हैं और वहां से अपनी गिरफ्तारी देने बरगाड़ी पुलिस चौकी में पहुंच जाते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और बाद में रिहा कर देती है। गुरुवार को इसके

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्ड़ा

आज अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र के

ग्रामीण मण्डल बलाना के पन्ना प्रमुखों से

रूबरू होकर उन्हें मिशन 2024 की जीत के

लिए संगठन के नुस्खे देंगे। करीब तीन महीने

पहले वह गृहमंत्री अनिल विज के बुलावे पर

अंबाला छावनी में अटल कैंसर सेंटर का

उद्घाटन करने आए थे। यह जानकारी

राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले नड्डा

पड़ौस के राज्य हिमाचल प्रदेश की सियासत

में सिक्रय थे इसिलए हरियाणा भाजपा के

भाजपा के एक स्थानीय नेता ने दी।

सैलजा ने हुड्डा के खिलाफ खोला मोर्चा

किसी को भी इस बारे में सबूत देने की जरूरत नहीं है।

आजाद कांग्रेस छोड़ चुके हैं और

वह अपनी नई पार्टी का गठन करने

की तरफ बढ़ रहे हैं। आजाद लगातार

सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी व

अन्य वरिष्ठ कांग्रेसियों के खिलाफ

बोल रहे हैं। इस बीच मंगलवार को

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह

हुड्डा ने कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के

साथ गुलाम नबी आजाद के घर

कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ

जाकर मुलाकात की थी।

अंबाला, १ सितंबर (जनसत्ता)।

लिए फिरोजपुर जिले की बारी थी। इसके तहत जोगिंदर सिंह मलवाल के नेतृत्व में 11 सदस्य आए और गिरफ्तारी दी। दल के सचिव जगजीत सिंह ने कहा, 'रोजाना सिख लोग बरगाड़ी गांव के गुरुवादा में आते हैं कीर्तन सुनते हैं, अरदास करते हैं और फिर गिरफ्तारी देने बरगाड़ी पुलिस स्टेशन रवाना हो जाते हैं। हम डेढ से ढाई बजे के बीच पुलिस चौकी जाते हैं, गिरफ्तारी देते हैं और आधे घंटे बाद पुलिस रिहा कर देती है। पुलिस को रोजाना यह प्राक्रिया अपनानी होती है जिसमें दो घंटे का वक्त लग जाता है। लेकिन हमारा प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। हम अपने पार्टी अध्यक्ष सिमरनजीत मान के निर्देशन में प्रदर्शन कर रहे हैं।'

गौरतलब है कि बरगाड़ी गांव में गुरुद्वारा के पास की गलियों में गुरुग्रंथ साहब के

कई नेता उनके सीधे संपर्क रहे हैं। शायद

यही वजह है कि प्रदेश के कई नेताओं की

उन तक सीधी पहुँच है जिनमें गृहमन्त्री

अनिल विज व अंबाला शहर के विधायक

अप्रैल को यहाँ अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र

भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर 6

असीम गोयल भी शामिल हैं।

बहबलकलां में धरना दे रहे ग्रामीणों ने जताया रोष

बहबालकलां गांव में 16 दिसंबर 2021 को उस जगह पर भी रोष धरना अभी तक चल रहा है जिसमें 14 अक्तूबर 2015 को पुलिस गोलीबारी में दो व्यक्तियों कृष्ण भगवान सिंह और गुरजोत सिंह को मौत हो गई थी। यह दोनों बरगाड़ी गांव की गलियों में गुरुग्रंथ साहब की बेअदबी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें पुलिस की गोली लगी थी। पीडित मृतकों के परिजनों ने इंसाफ मोर्चा के नाम पर यह मोर्चा आरंभ किया था। मोर्चा के मुख्या आयोजक कृष्ण भगवान सिंह के बेटे सुखराज सिंह ने कहा, 'दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसँभा चुनावों के प्रचार के दौरान एक जनसभा में कहा था कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर 24 घंटे में बरगाड़ी कांड सुलझा लिया जाएगा। अब वही सरकार जांच के लिए और समय मांग रही है।' उन्होंने बताया कि अप्रैल में इस सरकार ने तीन महीनों का समय मांगा था। इसके बाद 15 दिनों का समय मांगा जोकि 25 जुलाई को खत्म हो गया था। उस दिन सरकार के मंत्री आए और छह महीनों का समय और मांग लिया। यह सही नहीं है। हम जल्दी ही अपने नए कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। इस जांच का काम तीन सरकारों ने किया और इंसाफ किसी ने भी नहीं किया। तीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी वादा करके जा चुके हैं अब चौथे मुख्यमंत्री की बारी है।

वहीं जाते हैं। बरगाडी गांव के एक इकबाल सिंह संधु ने बताया, 'गुरुद्वारा बुर्ज

कटेफटे अंग मिले थे। प्रदर्शनकारी रोजाना चोरी करने वालों को अभी तक सजा नहीं मिली है। 2015 से इसकी जांच चल रही है। सात साल बीत चुके हैं और दोषियों को सजा जवाहरसिंहवाला से गुरुग्रंथ साहब के अंग नहीं मिली है इसलिए हम प्रदर्शन करते हैं।

हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड CIN: U74899DL1991PLC046774 पंजीकरण कार्यालय: 34, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 दूरभाषृ: 011-49487150 फैक्स: 011-49487150 भिल: litigation@herofincorp.com वेबसाइट: www.herofincorp.com

28.08.2022 को प्रकाशित विज्ञापन के सन्दर्भ में शुद्धिपत्र सुचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के संदर्भ में अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदारों, गारंटर(ओ) और गिरवीकर्ता (ओ) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे उल्लिखित अचल संपत्ति/प्रतिभत संपत्तियां प्रतिभति लेनदार (हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड) को गिरवी/चार्ज की गई हैं। नीचे उल्लिखित प्रतिभृत संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रतिभृति लेनदार (हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा लिया गया है, नीचे उल्लिखित कर्जदारों से प्रतिभृति लेनदार नीचे वर्णित देय राशि की वसुली के लिए नीचे दी गई तारीख पर **"जैसा है जहां** है आधार" "जो भी है वहां है आधार" और "जैसा है जो है आधार" और " बिना आश्रय के

मैसर्स कालिटी लिमिटेड (कर्जदार) प्रबंध निदेशक, श्री संजय डिंगरा के माध्यम से, निवासी केडीआईएल हाउस, एफ-82, शिवाजी प्लेस, राजौरी गार्डन-110027.

श्री संजय डिंगरा (गारंटर) पुत्र श्री जमन् राम ढींगरा, निवासी आवास संख्या 14, रोड नंबर 8 पूर्वी पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 साथ ही 5/1बी, रमेश नगर, नई दिल्ली -110015

मेसर्स जेटीपीएल टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड (बन्धककर्ता) इसके निदेशक श्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से, पंजीकृत कार्यालय : एफ -82, जिला केंद्र, शिवाजी एन्क्लेव, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली -110027।

संपत्ति का विस्तृत विवरण

खेवट/खतौनी क्रमांक 81/91 के अंतर्गत शामिल संपत्ति, खसरा नंबर 13//1 (8-0), 10/1 (1-12), 10/2 (2-16) कित्ते 3 तड़ाड़ी 12 कनाल 8 मरला इसके 5/24 हिस्से यानी 02 करनाल 12 मरला और खेवत खतीनी संख्या 82/92 के तहत खसरा नं. 21//9//19 (0-2), 10//26(0-9), कित्ते 2 तडाई 00 कनाल 11 मरला(स) इसके 5/24 हिस्से यानी 00 कनाल 02 मरलाऔर खेवत/खतौनी नंबर 83/93 खसरा नं. 13//11 (8-0), इसका 5/32 हिस्सा पानी 01 कनाल 05 मरला और खेवट/खतौनी नं 84/94 खसरा नं. 14//5 (6-12), इसका 5/24 शेयर यानी 01 कनाल 7.5 मरला और खेवट/खतौनी नं. 84/1, 94/1 खसरा नं. 13//10/3(3-12), 14//6/1(5-0), कित्ते 2 तडाई 08 कनाल 12 मरला अपनी 54/688 हिस्सेदारी अर्थात 00 कनाल 13.5 मरला और खेवट/खतौनी नं. 85/95 खसरा नं 10//21/1(5-11), 21/2(2-0) कित्ते 2 तड़ादी 07 कनाल 11 मरलास ने अपना 79/906 शेयर यानी

०० कनाल १३ मारला कुल क्षेत्रफल ०६ कनाल १३ मरला(स) है । खसरा नं. 13//1(8-0), 10/1(1-12), 10/2(2-16); कित्ते 3 तड़ाड़ी 12 कनाल 08 मरला इसका 22/248 हिस्सा यानि ० कनाल ०२ मरला और खेवट/खतौनी क्रमांक 107/118, खसरा क्रमांक 13/11(8-0), इसका 14/160 हिस्सा यानि 0 कनाल 14 खसरा संख्या 14//15/2(3-8), इसके 6/68 हिस्से यानी 0 कनाल 6 मरला और कुल क्षेत्रफल 02 कनाल 02 मरला वाले मरला और खेवत खतीनी

खसरा नं. 9//6/1(2-16), 14/2(3-8), 15(8-0), 16(8-0) वाले खेवत/खतौनी नं. 118/130 के अंतर्गत आने वाली संपत्ति, 17/1(1-16), 25(8-4), 10//9/3(2-12), 10(8-0), 11/1(7-0), 11/2 (1- 0), 20/1(7-0), 20/2 (1-0) कित्ते 12 तडाई 58 कनाल 16 मरलास सलाम और खेवट/खतोनी नं 109/2/120/2 खसरा संख्या 10//21/ 1(5-11), 21/2(2-0) कित्ते 2 तड़दी 07 कनाल 11 मारलास इसका ७२/१५१ हिस्सा यानी ०३ कनाल १२ मारला और कुल क्षेत्रफल ६२ कनाल ०८ मरला।

खसरा नं. 13//1(8-0), 10/1(1-12), 10/2(2-16) कित्ते 3 तड़ाड़ी 12 कनाल 08 मरलास वाली खेवट/खतीनी संख्या 81/91 के अंतर्गत संपत्ति का 31/248 शेयर अर्थात 01 कनाल 11 मरला और खेवट/खतीनी नं. 82/92 खसरा नं. 21//9/19(0-2), 10//26(0-9) कित्ते 2 तदादी 0 कनाल 11 मरला इसका 9/22 हिस्सा यानी 0 कनाल 4.5 मार्ला और खेवट/खतौनी नंबर 83/93 खसरा नंबर 13/11 (8-0) इसके 28.5/160 शेयर यानी 01 कनाल 8.5 मरलाऔर खेवत/खतौनी नंबर 83/1 , 93/1 खसरा नं. 14//15/2(3-8) इसके 7/68 हिस्से यानी 0 कनाल 7 मरला और खेवत/खतौनी नंबर 84/94 वाले क्षसरा नंबर 14//5 (6-12) वाले. इसका 28/132 हिस्सा 01 कनाल 08 मरला और खेवट/खतौनी नं. 84/1, 94/1 खसरा नं. 13//10/3 (3-12), 14//6/1 (5-0) , कित्ते 2 तडाडी 08 कनाल 12 मरला इसके 27/172 हिस्से 01 कनाल 07 मरला और खेवट/खतीनी नं. 85/95 खसरा नं. 10//21/1 (5-11) 21/2(2-0) कित्ते 2 तडाडी 07 कनाल 11 मरला इसका 15/151 हिस्सा यानी 0 कनाल 15 मरला और

खसरा नंबर 13//1(8-0), 10/1(1-12), 10/2(2-16) वाले खेवत/खतौनी नंबर 81/91 के तहत संपत्तियां शामिल हैं कित्ते 3 तड़ादी 12 कनाल 08 मरलास इसकी 196/768 हिस्सेदारी 03 कनाल 03 मार्ला और खीवत/खतौनी नं 85/95 खसरा नं 10/21/1(5-11), 21/2(2-0) कित्ते 2 तड़ादी 07 कनाल. 11 मरला अपने 17/151 हिस्से यानि 0 कनाल 17 मरला और कुल क्षेत्रफल 04 कनाल, ग्राम खुनी

माजरा, तहसील खरार, एचबी नंबर 187 एसएएस नगर (मोहाली) जिला में स्थित है। खेवत/खतौनी संख्या 156/166, खसरा संख्या 29//8/1(4-0), 13/2(4-0) पतंग 2 तदादी ८ कनाल के अंतर्गत संपत्ति गांव सांटे माजरा, हदबस्त नं 186, खरड तहसील, जिला एसएएस नगर (मोहाली)

में स्थित है नाप 7 कनाल 2 मरला। प्रतिभृति लेनदार (हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड) को ज्ञात स्थानीय स्वशासन, विदृत के ऋणभार, बकाया देय राशियों का विवरण संपत्ति कर, नगरपालिका कर, यदि कोई हो

प्रतिभृति लेनदार (हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड) को ज्ञात नहीं वसुली के लिए बकाया देय राशि जिसके लिए संपत्ति की बिक्री की जा रही है

रु.21,79,51,392.62/- (रुपये इक्कीस करोड उनहत्तर लाख इक्यावन हजार तीन सौ निन्यानबे और छह दो पैसे मात्र) 28.09.2018 को देय

> आरक्षित मृल्य रुपये 41,80,00,000/- (रुपये इकतालीस करोड और अस्सी लाख मात्र)

ईएमडी राशि

रु.4,18,00,000/- (रुपये चार करोड़ अठारह लाख मात्र)

बोली वृद्धि राशि

रु.1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र)

प्राधिकृत अधिकारी के नाम के साथ संपत्ति के ऑन-साइट निरीक्षण की तिथि/समय 06.10.2022 सबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक प्राधिकत अधिकारी - श्री जॉनी वर्मा मोब: 7814005343, johney.verma@herofincorp.com, और श्री पार्थिव त्रिवेदी मोब: 9820877376 ईमेल: parthiv.trivedi@ herofincorp.com / श्री रमेश गिरी, मोब: 9643468804, ईमेल:

ramesh.giri@herofincorp.com, श्री कमल वाधवा, मोब नंबर 9357688680 ईमेल आईडी kamal.wadhwa@herofincorp.com

ईएमडी और भागीदारी का अनुरोध पत्र, केवाईसी, दस्तावेज, पैन कार्ड, ईएमडी का प्रमाण आंदि जमा करने की अंतिम तिथि

07.10.2022 को शाम 5.00 बजे तक या उससे पहले. और ईएमडी आरटीजीएस/एनईएफटी के

ई-नीलामी की तिथि और समय

08.10.2022 सुबह 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक

(वेबसाइट: https://sarfaesi.auctiontiger.net)

इच्छक खरीददारों / बोलीदाताओं को ईएमडी राशि या तो आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से

या खाता संख्या 00030310016156, लाभार्थी का नाम: "हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड", आईएफएससी कोड: एचडीएफसी0000003 में डिमांड डाफ्ट / पे-आर्डर के माध्यम से जमा करना आवश्यक है। ई-नीलामी के नियम और शर्ते:

ई-नीलामी 'जैसा है जहां है आधार' 'जो भी है वहां है आधार' और 'जैसा है जो है आधार' और बिना आश्रय के आधार: पर तथा ऑनलाइन संचालित की रही है। ई-नीलामी मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (हेल्पलाइन नं. 07961200576/54 4/594/596/531/583/569, 6351896643 तथा ई-मेल Support@auctiontiger.net/

maulik.shrimali@auctiontiger.net) के माध्यम से उनके वेबपोर्टल https://sarfaesi. auctiontiger.net पर आयोजित की जा रही है। प्रतिभत लेनदार के संज्ञान में सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। फिर भी, इच्छक संविदाकारों को अपनी संविदाएँ जमा करने से पूर्व नीलामी पर रखी सम्पत्ति के ऋणभारों, सम्पत्ति के स्वामित्व तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों के सम्बन्ध में अपनी स्वतन्त पूछताछ

कर लेनी चाहिए। इस सम्बन्ध में ई-नीलामी विशापन हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड की कोई प्रतिबद्धता अथवा कोई प्रतिनिधान न तो निर्मित करता है और न निर्मित करेगा। अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी थर्ड पार्टी के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा। यह बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अध्यधीन होगी।

ई-नीलामी के अन्य नियम एवं शर्तें निम्नलिखित वेबसाइट : https://sarfaesi.auctiontiger.net पर प्रकाशित की जा रही है।

स्थान: चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर दिनांक: 02/09/2022

प्राधिकृत अधिकारी हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

Chandigarh

मामा ने 11 साल की भांजी को बनाया हवस का शिकार, गर्भवती

चंडीगढ्, 1 सितंबर (जनसत्ता)।

ट्राइसिटी में एक घिनौना व शर्मनाक मामला सामने आया है । मामला चंडीगढ से सटे पंजाब के नया गांव का है। जहां एक व्यक्ति अपनी 11 साल की भांजी को हवस का शिकार बनाता रहा।

पड़ोस में ही रह रहे मामा की काली करतूत का खुलासा तब हुआ जब नाबालिंग के पेट में दर्द होने के चलते उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने नाबालिग को गर्भवती पाते हुए मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने नाबालिंग के बयान दर्ज कर आरोपी मामा के खिलाफ बलात्कार और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी फरार बताया जा रहा है। पता चला है

गुलाम नबी आजाद के साथ

हुई बैठक पर जताई आपत्ति

लंबे समय से हड्डा कैंप के

निशाने पर चल रही कुमारी सैलजा

ने अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा

के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

उन्होंने पार्टी प्रभारी तथा संगठन मंत्री

केसी वेणुगोपाल को एक लिखित

शिकायत भेजकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा

तथा गुलाम नबी आजाद के बीच

हुई बैठक पर न केवल अपनी

आपत्ति दर्ज करवाई है बल्कि हुड्डा

के खिलाफ अनुशासनात्मक

से इस्तीफा दिया था। हाईकमान ने

सैलजा के इस्तीफे के बाद हड्डा गृट

के नेता उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष

बनाया है। अध्यक्ष पद से हटाए

जाने के बाद सैलजा संगठन की

राजनीति में सक्रिय हैं।

सैलजा ने हालही में अपने पद

कार्रवाई की भी मांग की है।

चंडीगढ़, १ सितंबर (जनसत्ता)।

कि पीड़िता के माता-पिता मजदूरी का काम करते हैं। दोनों सबह काम पर जाकर शाम को घर आया करते हैं। इस दौरान उनकी 11 साल की नाबालिग बेटी घर में अकेली रहती थी।

पीड़िता की मां ने बताया कि उनके पड़ोस में उसका एक रिश्तेदार रहता है। जो कि रिश्ते में पीडित बच्ची का मामा लगता है। नाबालिग बच्ची के अकेले होने का फायदा उठा आरोपी ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया बुधवार को बच्ची के पेट में दर्द होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। यहां अल्ट्रासाउंड के दौरान उसके गर्भवती होने का पता चला पुलिस ने मौके पर पहुंच बयान दर्ज करके आरोपी मामा के खिलाफ दष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

आजाद से पूछने गया था कि क्यों छोड़ी पार्टी : हुड़ा

हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी सैलजा द्वारा हुड्डा व आजाद की मुलाकात पर सवाल

उढाए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि आजाद लंबे

समय से कांगेस में थे। उन्होंने अचानक से पार्टी छोडी,उसके बारे में हमें कछ नहीं बताया।

इसलिए वह उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे, ताकि आजाद द्वारा पार्टी छोडने के पीछे

का सही कारण पता लग सके। हुड्डा ने कहा कि सोनिया गांधी ने बैठक के बाद हमारी बात

मान ली है अब पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव होने जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद कई वर्षों तक

इस परिवार का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में उनके पार्टी छोड़ने के पीछे का कारण जानना बहुत

जरूरी है। हुड्डा ने कहा कि वह हमेशा गांधी परिवार के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। उन्हें

काम कर रहे जी-23 ग्रुप में हुड्डा का

नाम भी गाहे-बगाहे आता रहा है।

इस ग्रुप से जुड़े लोग धीरे–धीरे कांग्रेस

से अलग होते जा रहे हैं। आजाद व

हुड्डा के बीच पिछले एक सप्ताह में यह

दूसरी मुलाकात है। सैलजा ने इस

मुलाकात पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए

कहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने बहत

ज्यादा भरोसे के साथ हड़ा को

हरियाणा में फ्री हैंड दिया है, और वह

आजाद के इस्तीफे के बाद उनके

साथ मुलाकात करने के लिए जाते हैं।

के सभी चार मंडलो के पन्ना प्रमुखों के विशाल सम्मेलन हुआ था जिसमें पाँच हुजार से भी ज्यादा पन्ना प्रमुख शामिल हुए थे। सम्मेलन में मौजूद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा था कि इस तरह का नए कलेवर में एक व्यवस्थित पन्ना सम्मेलन मैंने पहली बार देखा है और मेरी कोशिश होगी कि इस तरह के

सम्मेलन परे देश में करवाए जाएं। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड ने कहा थे कि अंबाला शहर में जिस तरह का भव्य व अनुशासित पन्ना प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वह निश्चित तौर पर अन्य विधानसभा क्षेत्रों के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन एक चुनौती भरा काम होगा। मैं चाहुँगा कि सुबे के हर विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का आयोजन हो।

बलाना अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र का एक ग्रामीण मण्डल है। करीब एक दशक पहले तक भाजपा का ग्रामीण इलाकों में नाम मात्र का जनाधार था लेकिन 2014 में असीम गोयल ने विधायक बनने के बाद गांवों पार्टी के

Ind-Swift

विस्तार के लिए अपनी ताकत झौंकी और सत्ता में होने के चलते विकास कार्यों की भी शुरुआत कारवाई। इसका फायदा यह हुआ कि 2019 में फिर यहाँ भाजपा का परचम लहराया।

इस बारे में असीम गोयल ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के शहरी इलाकों के वार्डों के साथ साथ हलके में कोई भी गाँव नहीं बचा है जहां पार्टी का मजबूत संगठन न हो। उन्होंने कहा कि अभी एक पन्ने पर छपे कुछ मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए एक पन्ना प्रमुख है लेकिन आने वाले समय में एक पन्ने के लिए पांच लोगों को अग्रिम पंक्ति में लाया जाएगा ताकि हर घर के दरवाजे तक भाजपा की पहुँच हो सके।

Ind-Swift Laboratories Ltd.

Regd. Off.: SCO 850, Shivalik Enclave, NAC Manimajra, Chandigarh. 160101

CIN No.L24232CH1995PLC015553

NOTICE OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD

THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL

MEANS (OAVM), REMOTE EVOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting ("AGM") of the

Company will be held on Friday, 30thSeptember, 2022, at 11.30 AM (IST)

through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") in

compliance with General Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 issued by

the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No.

SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by the

Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and other circulars issued

from time to time (collectively referred to as "the Circulars") and in compliance

with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and SEBI (Listing

Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR"),

In compliance with the Circulars, the Annual Report 2021-22 including the

notice of AGM, is being sent only through electronic mode to those members

whose e-mail IDs are registered with the Registrar & Transfer Agent ("RTA") or

respective Depository Participants ("DPs"). The Notice of AGM and the

Annual Report 2021-22 will also be available on the Company's website at

www.indswiftlabs.com, websites of the stock exchanges i.e. BSE Limited and

National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and

www.nseindia.com respectively, and on the website of Central Depository

The Company has engaged the services of CDSL as the authorised agency

for conducting of the AGM through VC/OAVM facility and for providing

electronic voting ("e-voting") facility to its members, to exercise their votes

through the remote e-voting and e-voting at the AGM. The manner of voting

remotely by members holding shares in dematerialized form and physical

The Cut-off Date for determining the eligibility of members'or the purpose of

remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM facility and e-

voting during the AGM is Friday, 23rdSeptember, 2022. Any person who

becomes a member of the Company after the dispatch of Notice and holding

shares as on the Cut-off Date may obtain the login ID and password by

Members are advised to update their PAN, KYC (Address, Email ID, Mobile

Number, Bank Account Details, Specimen Signature, etc.) and Nomination

details as mandated by SEBI vide its circular

SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB /P/CIR/2021/655 dated November 3,

2021, read together with circular

SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/687 dated December 14,

Members holding shares in physical form: to the Company's RTA-Alankit

Assignments Limited, in prescribed Form ISR -1 and other forms as per

instructions mentioned in the form. The formats can be downloaded from the

Company's website athttps://www.indswiftlabs.com/investor/shareholder-

Members holding shares in dematerialized form: to their respective

Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013

and the Rules framed thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from

26th September, 2022 to 30th September, 2022 (both days inclusive) for the

purpose of the 27th Annual General Meeting (AGM) to be held on

For Ind-Swift Laboratories Ltd.

2021, to avoid freezing of their folios on or after April 1, 2023, as below:

Depository Participants as per the procedure prescribed by them.

Services (India) Limited (CDSL) at https://www.evotingindia.com.

form will be provided in the AGM notice.

30thSeptember, 2022.1

sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com

to transact the business as set out in the notice of the AGM

सार्वजनिक शौचालय के बाहर मिला युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी

शहर में सेक्टर-54 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आदर्श कॉलोनी के पास बने सार्वजनिक शौचालय के बाहर एक युवक का

चंडीगढ़, १ सितंबर (जनसत्ता)।

शव बरामद हुआ।

पुलिस ने बेसुध पड़े युवक को जीएमएसएच पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान आदर्श कॉलोनी ,सेक्टर 54 के रहने वाले 32 वर्षीय विरंद्र के रूप में हुई है। वह संजय मार्केट में रेहडी चलाने का काम किया करता था। पुलिस ने शव को अस्पताल के शव गृह में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। मामले में सेक्टर 39 थाना पलिस का कहना है कि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चल सकेगा। पुलिस के मुताबिक गुरुवार सुबह किसी राहगीर ने ही उसे बेसुध हालत में देख कर इसकी सुचना पुलिस को दी थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

रेलटेल

निविदाः संः : रेलटेल / निविद / ओटी / सीओ / आरडब्ल्यू /2022-23/रेलवायर एल/डब्ल्यू उन्नयन/०४ लिवायर नेटवर्क उन्नयन के लिए स्विच, राउटर सर्वर और एसएफपी की खरीद के लिए आपूर्ति और दर अनुबंध के लिए निविदा दस्तावेज।

हैं। परिशिष्ट / शुद्धिपत्र www.railtelindia.com और https://www.railtel.enivida.com वेबसाइट पर डाला जाएगा।

रेलटेल (भारत सरकार का एक उपक्रम) सीआईएन सं.L64202DL2000GOI107905 –निविदा संख्याः रेलटेल∕ई–निविदा∕

ओटी / बब्ल्यूआर / जीबीटी / 30एम / 2021-22/ आर2 दिनांक: 29.08.2022 रेलटेल / पश्चिमी क्षेत्र के "राज्य में विभिन्न रेलवे रथलों पर 30मीटर ट्यूबलर टॉवर की आपूर्ति

नथा रखरखाव" के लिए खुली ईं−निविदा नेविदा सूचना और निविदा दस्तावेज

https://www.railtel.enivida.com पर उपलब्ध

(भारत सरकार का एक उपक्रम) सीआईएन स.64202DL2000GOI107905

निविदा सूचना और निविदा दस्तावेज www.railtelindia.com आर्रि

निर्माण, स्थापना, अर्थिंग, परीक्षण, प्रतिस्थापना आमंत्रित करता है।

https://www.railtelindia.com पर उपलब्ध है आरि इसे ई-नियदा पोर्टल https://www.ireps.gov.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है। भविष्य के सभी परिशिष्ट / शुद्धिपत्र केवल रेलटेल की वेबसाइट और ई-निविदा पोर्टल पर ही अपलोड

वेस्टर्न रेलवे माइक्रोवेव कॉम्पलेक्स, रोनापति वापट मार्ग, महालक्ष्मी, मुग्बई-400013 फोन: 91(22)24923907, फेक्स: 91(22)24923913

Place : Chandigarh Pardeep Verma Date: 01-09-2022 AVP-Corp. Affairs & Co. Secy.

www.readwhere.com